न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/167/2021

प्रवेश तिथि 11.11.2021

कम्प्यूटर आई.डी. सं. 2021/348

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री विजयसिंह मीना, निवासी–ग्राम–सैमला, पो. हसनपुर, तहसील–लक्ष्मणगढ, जिला–अलवर (राज.)–321607		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02.12.2021

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 26.082021 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आ.ख.नं. 22, 59 सरकारी रास्ता/ग्रेंवल रोड व 58/2 वाके ग्राम–सैमला, तह. लक्ष्मणगढ सरकारी सार्वजनिक भूमि पर से अतिक्रमण हटाने संबंधी 01 लगायत 04 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया।
4. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः आर.टी.आई./2021/4398–99 दिनांकः 21.09.21 के माध्यम से प्रश्नगत आर.टी.आई. आवेदन–पत्र दिनांकः 26.08.2021 विकास अधिकारी, पं.स. लक्ष्मणगढ को धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जाकर अधिनियम के विधिक प्रावधानों के तहत सूचित किया जा चुका है।
5. उक्त अन्तरण के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः 568–69 दिनांकः 11.11.2021 व 579–80 दिनांकः 18.11.2021 के माध्यम से तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः आर.टी.आई./2021/6130 दिनांकः 30.11.2021 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया।
8. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व प्रत्यर्थी कार्यालय द्वारा प्रेषित जवाब नोटिस का परीक्षण किया। पत्रावली का परीक्षण करने पर जाहिर हुआ कि अपीलार्थी का प्रथम आवेदन दिनांकः 26.08.2021, प्रत्यर्थी विभाग को कब प्राप्त हुआ, का अंकन नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त उक्त आवेदन दिनांकः 26.08.2021, पत्रांकः आर.टी.आई./2021/4398–99 दिनांकः 21.09.21 के माध्यम से आवेदक को सूचित करते हुए विकास अधिकारी, पं.स. लक्ष्मणगढ (अलवर) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु अन्तरित किया गया है **जो कि काफी विलम्ब से किया गया है।** सूचना का

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) अन्तर्गत यह प्रावधान है कि "इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु **किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पॉच दिनों के पश्चात् नही किया जाएगा।"**

9. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रावधान को नजरअंदाज कर प्रा0पत्र का अन्तरण किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

10. अस्तु प्रथम अपील आंशिक स्वीकार की जाती है, प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी के **प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 26.08.2021 में वांछित सूचना, अन्तरित कार्यालय/विकास अधिकारी, पं.स. लक्ष्मणगढ, अलवर से बिन्दुवार प्राप्त कर निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को अविलम्ब उपलब्ध कराई जावे,** अन्तरित कार्यालय में दस्तावेजी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी तद्नुसार स्पष्टतः अपीलार्थी को सूचित करें।

11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ विकास अधिकारी, पं.स. लक्ष्मणगढ को भी प्रेषित की जावे।

12. आज दिनांकः 02.12.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)